

बिहार सरकार,  
कृषि विभाग।

पत्र संख्या- पी0पी0एम0-81/2016 3190 /कृ0, पटना, दिनांक- 09-08-2017  
प्रेषक,

सुधीर कुमार,  
प्रधान सचिव  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,  
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(1) अ-गौपचारिक रूप से परामर्शित। द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

विषय : राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत Crop Diversification Programme (CDP) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में केन्द्रांश मद 18.52680 लाख (अठारह लाख बावन हजार छः सौ अस्सी) रुपये एवं राज्यांश मद 12.35120 लाख (बारह लाख पैंतीस हजार एक सौ बीस) रुपये कुल 30.878 लाख (तीस लाख सतासी हजार आठ सौ) रुपये की लागत पर योजना का कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत Crop Diversification Programme (CDP) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में केन्द्रांश मद 18.52680 लाख (अठारह लाख बावन हजार छः सौ अस्सी) रुपये एवं राज्यांश मद 12.35120 लाख (बारह लाख पैंतीस हजार एक सौ बीस) रुपये कुल 30.878 लाख (तीस लाख सतासी हजार आठ सौ) रुपये की लागत पर योजना का कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्तीय वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत तम्बाकु की खेती के स्थान पर वैकल्पिक खेती के लिए भारत सरकार से संसूचित उद्व्यय के आलोक में सब्जी की खेती के लिए फसल विविधिकरण कार्यक्रम Crop Diversification Programme (CDP) के लिए कार्य योजना को भारत सरकार कृषि मंत्रालय के पत्रांक 1-6/2017 सी०यू०-II दिनांक 10.07.2017 द्वारा मो० 30.878 लाख रुपये के लिए स्वीकृत किया गया है। जिसमें वित्तीय वर्ष 2016-17 की अवशेष राशि मो० 1.218 लाख रुपये एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु मो० 29.660 लाख रुपये कुल मो० 30.878 लाख रुपये वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए भारत सरकार द्वारा कर्णांकित की गई है। वित्तीय वर्ष 2016-17 की अवशेष राशि मो० 1.218 लाख रुपये को भारत सरकार द्वारा सितम्बर, 2017 तक व्यय करने की अनुमति प्रदान की गयी है। भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु कर्णांकित केन्द्रांश की विमुक्ति की प्रत्याशा में स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जा रहा है। राशि विमुक्ति के उपरांत समानुपातिक राज्यांश का आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।

3. उक्त योजना का कार्यान्वयन तीन जिलों यथा-वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर में कराया जायेगा। भारत सरकार द्वारा योजना के स्वरूप को 60:40 किया गया है। जिसमें केन्द्रांश 60 प्रतिशत मो० 18.52680 लाख एवं राज्यांश 40 प्रतिशत मो० 12.35120 लाख कुल मो० 30.878 लाख रुपये स्वीकृत की गई है। भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत संकर प्रभेद की सब्जी खेती का इकाई लागत 45,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर तथा खुला परागण प्रभेद के सब्जी खेती का इकाई लागत 30,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित है। योजना के तहत इकाई लागत का 75 प्रतिशत एवं अन्य घटकों (प्रशिक्षण) के लिए MIDH के अनुरूप देय सहायतानुदान अनुमान्य होगा। जिसका संचालन जिला स्तर पर सहायक निदेशक उद्यान द्वारा किया जायेगा। लाभुकों को अनुदान का भुगतान DBT के माध्यम से किया जायेगा। Crop Diversification Programme (CDP) योजना का 2017-18 के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम अनुसूची-1, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की विवरणी अनुसूची-2 एवं मदवार जिलावार लक्ष्य अनुसूची-3 के रूप में संलग्न है।

4. Crop Diversification Programme (CDP) योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तर पर बिहार बागवानी विकास सोसाईटी एवं जिला स्तर पर जिला बागवानी विकास समिति गठित है। बिहार बागवानी



विकास सोसाईटी के राज्य स्तर पर कार्यकारी प्रधान मिशन निदेशक एवं जिला स्तर पर जिला बागवानी विकास समिति के अध्यक्ष संबंधित जिलो के जिला पदाधिकारी हैं।

5. योजना कार्यान्वयन के संबंध में यथाआवश्यक संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकेगा।

6. बजट शीर्ष एवं स्वीकृत राशि निम्न प्रकार है, (राशि लाख रुपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
<b>केन्द्रांश</b>		
मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-मांग सं०-1 उपशीर्ष-0216-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्र कोड-01-2401001090216, पी०एफ०एम०एस०कोड-9145, विषयशीर्ष-0216.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	16600.00	15.37724
मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग सं०-1 उपशीर्ष-0203- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्र कोड- 01-2401007890203 पी०एफ०एम०एस०कोड-9145 विषय शीर्ष-0203.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	3200.00	2.96429
मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-मांग सं०-1 उपशीर्ष-0231-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्र कोड-01-2401007960231, पी०एफ०एम०एस०कोड-9145, विषय शीर्ष-0231.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	200.00	0.18527
<b>योग</b>	<b>20000.00</b>	<b>18.52680</b>
<b>राज्यांश</b>		
मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00- लघु शीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-मांग सं०-1 उपशीर्ष-0316-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्रकोड- 01-2401001090316, पी०एफ०एम०एस० कोड-9145 विषय शीर्ष-0316.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	14525.00	10.25150
मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष- 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग सं०-1 उपशीर्ष-0303- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना(आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्र कोड- 01-2401007890303, पी०एफ०एम०एस० कोड-9145 विषय शीर्ष-0303.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	2800.00	1.97619
मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00- लघु शीर्ष-796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना-मांग सं०-1 उपशीर्ष-0331-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के० वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्र कोड-01-2401007960331, पी०एफ०एम०एस० कोड-9145 विषय शीर्ष- 0331.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	175.00	0.12351
	<b>17500.00</b>	<b>12.35120</b>

7. वित्त विभाग का संकल्प संख्या-3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

8. वित्त विभागीय प्ररिपत्र संख्या-7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- पी०पी०एम०-81/2016 के पृ०सं०- 18/टि० पर दिनांक 08.08.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


*(सुधीर कुमार)*  
9-8-2017

प्रधान सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।




ज्ञापांक :-पी०पी०एम०-81/2016 ..... 3190 /कृ०, पटना, दिनांक 09-08-2017  
प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ,  
पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
9.8.2017  
प्रधान सचिव,


कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-पी०पी०एम०-81/2016 ..... 3190 /कृ०, पटना, दिनांक 09-08-2017  
प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को  
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
9.8.2017  
प्रधान सचिव,


कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-पी०पी०एम०-81/2016 ..... 3190 /कृ०, पटना, दिनांक 09-08-2017  
प्रतिलिपि : सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु  
प्रेषित।

  
9.8.2017  
प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-पी०पी०एम०-81/2016 ..... 3190 /कृ०, पटना, दिनांक 09-08-2017  
प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त  
सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक पी०पी०एम०, कृषि  
विभाग, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक शष्य, (योजना), बिहार, पटना/सभी जिला  
कृषि पदाधिकारी/उप निदेशक, उद्यान/सहायक निदेशक, उद्यान, वैशाली/समस्तीपुर/ मुजफ्फरपुर/बजट  
एवं योजना शाखा, सचिवालय एवं कृषि निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं उप कृषि  
निदेशक(सूचना), बिहार, पटना को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
9.8.2017

प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।



Action Plan Crop Diversification Programme Year 2017-18

(Financial Rs. in Lakh)

Sl. No.	Component/Intervention	Approved Rate of Assistance*	Unit	Total Target		Remarks
				Physical	Financial	
A.	Activities Proposed during 2017-18					
1	Alternate Crop Demonstrations					
i	Vegetable Crop	75% of cost Max @ 22500/ha.*	ha.	80.4	18.093	
		75% of cost Max @ 33750/ha.*	ha.	35	11.8125	
	<b>Total (1)</b>			<b>115.4</b>	<b>29.9055</b>	
2	Farm Mechanization & Value Addition					
i	Implement/machine/equipment to be specified	Pattern of assistance and name of scheme under which same norms are followed	No.	-	-	
	<b>Total (2)</b>					
3	Site Specific Activities					
	Activity to be specified	Pattern of assistance and name of scheme under which same norms are followed				
	<b>Total (3)</b>					
4	Contingency for awaeness training, implementation, monitoring etc.					
i	Awarness Training	Awarness Training for @ ₹1000	No.	67	0.6765	
ii	Contingency			-	0.2960	
	<b>Total (4)</b>				<b>0.9725</b>	
	<b>Total (1+2+3+4)</b>			<b>182.4</b>	<b>30.8780</b>	
B	Committed Liabilities, if any component/intervention wise					
	<b>Grand Total (A+B)</b>			<b>182.4</b>	<b>30.8780</b>	

\* Approved norms of CSSs/State scheme

(विमु विद्यार्थी)

अरविन्दर सिंह





अनुसूची-2

वित्तीय वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत फसल विविधिकरण कार्यक्रम (CDP) योजनान्तर्गत केन्द्रांश मद में 18.52578 एवं राज्यांश मद में 12.35222 लाख कुल 30.8780 लाख रुपये की निकासी हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (मदवार सहित) की विवरणी

क्र० सं०	जिला का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	केन्द्रांश				राज्यांश				कुल योग
			सामान्य वर्ग (83%)	अनुसूचित जाति (16%)	अनुसूचित जनजाति (1%)	योग	सामान्य वर्ग (83%)	अनुसूचित जाति (16%)	अनुसूचित जनजाति (1%)	योग	
1	मुजफ्फरपुर	सहायक निदेशक उद्यान, मुजफ्फरपुर	576037.00	111043.00	6940.00	694020.00	384024.00	74029.00	4627.00	462680.00	1156700.00
3	वैशाली	सहायक निदेशक उद्यान, वैशाली	480844.00	92693.00	5793.00	579330.00	320563.00	61795.00	3862.00	386220.00	965550.00
3	समस्तीपुर	सहायक निदेशक उद्यान, समस्तीपुर	480844.00	92693.00	5793.00	579330.00	320563.00	61795.00	3862.00	386220.00	965550.00
कुल योग			1537725.00	296429.00	18526.00	1852680.00	1025150.00	197619.00	12351.00	1235120.00	3087800.00

(मो० तीस लाख सत्तासी हजार आठ सौ रुपये) मात्र

  
 (विमु विद्यार्थी)  
 उप निदेशक उद्यान (प्र० एवं मु०)  
 उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना

  
 अरविन्दर सिंह

